न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 324/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती कमलादेवी पत्नी धनाराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– आसुराम पुत्र जगुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 2– किसनाराम पुत्र जगुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 3– हुकमाराम उर्फ दुर्गाराम पुत्र जगुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 4– सांवताराम पुत्र हरींगाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2008 अनवान आसुराम बनाम कमलादेवी मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जयदेव सिह चारण अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 2 व 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 6–8–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 आसुराम पुत्र जगुराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम शिवपुरी के खसरा नंबर 2579/3109 रकबा 22 बीघा स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपीलांट) की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2579/6 रकबा 15 बीघा स्थित है । राजस्व रेकर्ड मे उक्त भूमि 15 बीघा दर्ज है लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नक्शे मे गलत तरमीम अंकित करने से प्रार्थी का रास्ता बंद है, प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया तथा नक्शे मे उस नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जाने की शुद्धि की मांग की । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारीज करने का निवेदन किया । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत न्यायालय हाजा मे आयोजित फोलोअप

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

शिविर दिनांक 15-7-2016 मे रखते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि ग्राम शिवपुरी के खसरा नंबर 2579/6 तथा 2579/7 की भूमि की पुनः सटीक पैमाईश कर उनकी तरमीम से अधिक भूमि पाई जाने पर तरमीम मे संशोधन कर प्रार्थी के रास्ता को छोडते हुए पुनः तरमीम की जाने के निर्देश तहसीलदार लोहावट को पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी कां फॉलोअप शिविर का कोई नोटिस जारी नही किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नही की जाने के बावजुद अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थित बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही था क्योकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही सही किया जा सकता है परंतु वर्तमान मामले मे सही चले आ रहे राजस्व नक्शे को रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपनी मनमर्जी के नजरी नक्शे अनुसार नक्शे मे तरमीम करने तथा रास्ते की मांग की गई जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तहत नही दिया जा सकता है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व लोक अदालत मे केवल उन्ही मामलो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्षकार सहमत हो जबकि वर्तमान मामले मे पक्षकारो की कोई सहमति नही थी तथा अपीलांट अधिवक्ता की गलत हाजरी दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र मे जैसी इस्तदुआ मांगी उसी अनुसार स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जबकि धारा 138 मे ऐसा आदेश पारित ही नही किया जा सकता है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि इसी भूमि बाबत रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा एक नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर रखा है जो वर्तमान मे विचाराधीन था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित नही किया जाना चाहिये था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वर्ष 2009 मे रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर ही भू प्रबंध विभाग ने अपीलाधीन भूमि की पैमाईश की थी तथा उस पैमाईश मे नक्शे को सही माना गया था इसलिए अब रेस्पो0 संख्या 1 अपने मर्जी अनुसार राजस्व नक्शे मे नई तरमीम करवाने का अधिकारी नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

संभागीय आयुक्त जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे रास्ते का भी आदेश कर दिया, जो धारा 136 मे कंवर नही होता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रास्ते के संबध मे पृथक से आर.टी.एक्ट की धारा 251 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–16 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को उनकी बहस का अंग सुमार किया जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व नक्शे मे गलत की गई तरमीम को दुरस्त करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । वकील अपीलांट ने धारा 136 के प्रावधानो की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि राजस्व नक्शा भी राजस्व रेकर्ड की श्रेणी मे आता है इसलिए राजस्व रेकर्ड (नक्शे) मे हुई त्रुटि को दुरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट का उनकी बहस मे यह कथन कि उन्हे फोलाअप केम्प की सूचना नही दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय मे उनके अधिवक्ता की गलत उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबध मे रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–7–16 को पढकर सुनाया जिसमे अधिवक्ताओं को सुना जाने का उल्लेख है तथा दिनांक 1–7–16 की आदेशिका मे अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता के आदेशिका पर हस्ताक्षर है अथार्त अधिवक्ताओ को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलांट का यह कथन कि उन्हे सुना नही सही नही है ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे न्यायालय को अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे वर्तमान मे कोई वाद विचाराधीन नही है पूर्व मे वाद संख्या 75/2008 विचाराधीन था जो दिनांक 17–10–2008 को विड्रो कर लिया गया था ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी परंतु मौके पर तरमीम 17.05 बीघा की है, वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नायब तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट जिसमे भी अपीलांट की खसरा नंबर 2579/6 मे रकबा 15 बीघा भूमि आई हुई है परंतु लट्ठा ट्रेस मे तरमीम अधिक होने से मौके पर चल रहा रास्ता अवरूद्ध हुआ है इसलिए तरमीम दुरस्त कर मौके पर चल रहे रास्ते को खुलवाया जाना न्यायोचित बताया

है । जिसमे मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे ए.आई.आर. 1982 सु.को. पेज 1249, आर. आर.डी. 1984 पेज 77, ए.आई.आर. 1969 राज. पेज 304, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 451, आर.आर.डी.1997 पेज 504 की निर्णय नजीरें पेश की ।

रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि नायब तहसीलदर की रास्ता खुलवाने की इस्तदुआ थी तो इसके लिए उन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे आर.टी.एक्ट की धारा 251, 251ए के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी न कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा वकील रेस्पो0 द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरों का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को दुरस्त करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो पर गौर किये बिना ही उनके समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 2579/6 एवं 2579/7 की भूमि की पुनः पैमाईश कर, उनकी तरमीम से अधिक भूमि पाई जाने पर तरमीम संशोधित कर प्रार्थी के रास्ता को छोडते हुए पुनः तरमीम करने के आदेश तहसीलदार लोहावट को पारित कर दिये, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन एवं अध्ययन मात्र से यह प्रकट है कि धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे मे तरमीम दुरस्ती की आड मे रास्ते के संबंध मे निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । यदि रेस्पो0 को अपने खेतो मे जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता थी तो उसे विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251, 251ए के तहत कार्यवाही पृथक से आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था ।

इसके अलावा यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नक्शा ट्रेस मे किसी प्रकार की दुरस्ती का प्रावधान धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर, उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन कर, उस पर विधिवत जांच करवाकर नक्शे मे तरमीम शुद्धि के संबंध मे आदेश पारित किया जा सकता है जबकि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त किया जा सकता है न कि नक्शे मे हुई तरमीम को धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थना पत्र के जरिये, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना मे यह कही उल्लेख नही किया है कि उसका रकबा नक्शे मे की गई गलत तरमीम से कम

हो रहा हो, मात्र यह कथन किया है कि वर्तमान अपीलांट (अधीनस्थ न्यायालय के रेस्पो0 संख्या 1) के खाते मे दर्ज भूमि से अधिक भूमि की नक्शे मे तरमीम हो रखी है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के जरिये दुरस्त करवाने की इस्तदुआ पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत आयोजित फोलोअप शिविर मे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–16 को निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 6–8–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर